कार्यालयः— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम(म0प्र0)

—::आदेश::—

क्रमांक 300 /दो—16—2/2025 नर्मदापुरम, दिनांक 18.03.2026

श्री राजेश कुमार अग्रवाल, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पिपरिया का कार्यालय आदेश कमांक 210 दिनांक 17.02.2026 द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 09.03.2026 से 12.03.2026 तक कुल 04 दिवस में से, दिनांक 12.03.2026 कुल 01 दिवस का अर्जित अवकाश, उपभोग न किये जाने से निरस्त किया जाता है।

18/3/2026

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नर्मदापुरम,(म.प्र.)

पृ. क. 1302/दो—16—2/2025 नर्मदापुरम, दिनांक 18.03.2026

यथाआदेश, प्रतिलिपिः—

01— श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

02— श्री राजेश कुमार अग्रवाल, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पिपरिया जिला नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

03— जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, नर्मदापुरम की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।

18/3/26

वास्ते— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नर्मदापुरम,(म.प्र.)